

CHHATTISGARH SWAMI VIVEKANAND TECHNICAL UNIVERSITY, BHILAI

छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय, भिलाई

क्रमांक : छस्वावितवि/प्रशा./2018/

भिलाई, दिनांक :

अधिसूचना

विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक - 14 की कंडिका 3.5 एवं 3.6, अध्यादेश क्रमांक - 17 की कंडिका 7.3 एवं अध्यादेश क्रमांक - 21 की कंडिका 3 में संशोधन किये गये हैं।

उपरोक्त संशोधित प्रावधान सत्र 2018-19 में प्रवेशित छात्रों के लिये एवं तत्समय प्रभावित होने वाले वर्तमान (2018-19 से पूर्व प्रवेशित) छात्रों के लिये निम्नानुसार क्रमिक रूप से लागू होंगे :-


1. जुलाई-दिसंबर 2020 से पंचम सेमेस्टर में प्रवेश के लिये
2. जनवरी-जून 2021 से षष्ठम सेमेस्टर में प्रवेश के लिये
3. जुलाई-दिसंबर 2021 से सप्तम सेमेस्टर में प्रवेश के लिये (केवल बी.ई. एवं अंशकालीन डिप्लोमा)
4. जनवरी-जून 2022 से अष्टम सेमेस्टर में प्रवेश के लिये (केवल बी.ई. एवं अंशकालीन डिप्लोमा)

कुलसचिव,
छस्वावितवि, भिलाई

क्रमांक : छस्वावितवि/प्रशा./2018/2137
प्रतिलिपि :

भिलाई, दिनांक : 7/9/18

1. प्राचार्य/डायरेक्टर, विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त महाविद्यालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. विश्वविद्यालय सूचना पटल एवं विश्वविद्यालय के वेबसाइट में प्रदर्शित करने हेतु।
3. निज सहायक मा. कुलपति।
4. मास्टर फाइल।


कुलसचिव, 7/9/18
छस्वावितवि, भिलाई